कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम, कटिहार
जिला– कटिहार

24 AUG 2016
प्राप्ति तिथि

महाशय,

नगर निगम, कटिहार के वर्ष 2014–15 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 1710 / 15–16 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर निगम बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14573 / 142 दिनांक– 22/08/16.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, कटिहार

(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

26 AUG 2016

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 –1710/15–16

भाग–1

1.	कार्यालय का नाम	नगर निगम, कटिहार
2.	निरीक्षण का वर्ष	2014–15
3.	लेखा परीक्षा की अवधि	11.01.2016 से 06.02.2016
4.	लेखा परीक्षा दल के सदस्यगण	(i) श्री रवि कुमार, स0ले0प0अ0 (ii) श्री नीरज कुमार, स0ले0प0अ0 (iii) श्री नीरज कुमार सिंह, व0ले0प0 (iv) श्री अरविन्द कुमार, लेखापरीक्षक
5.	निरीक्षण पदाधिकारी का नाम	श्री विनोद कुमार II, व0ले0प0अ0
6.	क्या कार्यालय प्रधान के साथ आपत्तियों पर विचार–• विमर्श किया गया?	हाँ, दिनांक 06.02.2016 को लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई आपत्तियों पर चर्चा की गई।

7. **प्रशासन**

(क)

क्र0	महापौर का नाम	अवधि
1.	श्री विजय सिंह	01.04.2014 से 31.03.2015

(ख)

क्र0	उपमहापौर का नाम	अवधि
1.	श्रीमती पुष्पा देवी	01.04.2014 से 31.03.2015

(ग)

क्र0	नगर आयुक्त	अवधि
1	श्री रकेश कुमार, बि0 प्र0 से0	01.04.2014 से 31.03.2015

8. **लेखा परीक्षा का परिक्षेत्र**

लेखा परीक्षा में नमूना जॉच किए गए अभिलेखों की सूची परिशिष्ट –I एवं लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–II पर हैं।

9. **पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन**

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धारा 93 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी सशक्त स्थायी समिति के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को उन पर अपनी टिप्पणी के साथ पेश करेंगे, जो जांचोपरांत उन्हें अपनी टिप्पणी के, यदि कोई हो, नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत

206

करेगी। साथ ही, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अपने प्रतिवेदन में लेखा परीक्षक द्वारा बतलायी गयी त्रुटियों को दूर करेंगे। इसके अतिरिक्त धारा 94 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका द्वारा लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन अंगीकार किए जाने के पश्चात उस पर नगरपालिका द्वारा की गयी कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ उन्हें राज्य सरकार को अग्रसारित करेंगे और इसकी प्रति स्थानीय लेखापरीक्षक भेजेंगे।

पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सभी कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन अभी तक स्थानीय लेखापरीक्षक कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अंकेक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है।

लेखा परीक्षा में उक्त आपत्ति उठाए जाने पर निगम कार्यालय ने उत्तर दिया कि पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष 2001–02 से 2007–08 एवं 2013–14 तक के लंबित अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक–1820/ न०नि०, दिनांक–06.10.2015 द्वारा प्रधान सचिव, न०वि० एवं आ०वि०, बिहार, पटना को भेज दी गयी है। उसकी एक प्रति महालेखाकर कार्यालय, बिहार, पटना को विभाग के स्तर से उपलब्ध करायी गयी होगी। पुनः महालेखाकार कार्यालय को अनुपालन की प्रति भेजी जायगी। जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

10. सामान्य अभियुक्ति

नगर निगम कटिहार की लेखा का संधारण में सुधार की आवश्यकता है। मांग एवं वसूली पंजी, अनुदान पंजी, संपत्ति पंजी, बंदोवस्ती पंजी इत्यादि संधारित नहीं थे। दुकान किराया, गृह कर, मोबाईल टावर तथा सैरातों की वसूली हेतु अपेक्षित प्रयास की आवश्यकता थी। नगर निगम प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि इन अभिलेखों का संधारण करवाया जाए। निगम कार्यालय द्वारा सरकारी अनुदानों की राशि को अवरोधित रखने की प्रवृत्ति पायी गयी तथा अनुदानों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा था। नगर निगम कार्यालय द्वारा बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के अनुपालन में लेखाओं का संधारण नहीं किया गया था। अतः निगम प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि लेखाओं का संधारण नियमानुकूल किया जाए।

11. लेखापरीक्षा का परिणाम

(i) अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि – 8748.00

(ii) वसूली हेतु सुझाई गई राशि – 45039445.55

(iii) आपत्ति के अधीन रखी गई राशि– 79531968.50

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट सं0– X पर है।)

12. बजट प्राक्कलन

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 से 85 में नगरपालिका का बजट बनाने, उसकी मंजूरी तथा बजट अनुदान में परिर्वतन से संबंधित प्रावधान किये गये हैं। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष 15

फरवरी को अथवा तत्पश्चात यथा सम्भव शीघ्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका के समक्ष पेश करना है। नगर निगम, बजट प्राक्कलन और इस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा, यदि कोई हो पर विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तनों के साथ आगामी वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे और इस प्रकार अंगीकृत बजट राज्य सरकार को भेजेगी। यथा स्थिति राज्य सरकार उपरोक्त उपधारा के अधीन प्राप्त बजट प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता से सम्बद्ध उपबंधों में परिवर्तन के सांथ अथवा बिना परिवर्तन के उस वर्ष के मार्च की 31 तारीख के पूर्व नगर निगम को लौटा देगी।

कटिहार नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के बजट को निम्नानुसार पारित किया गया था–

वित्तीय वर्ष	**निगम बोर्ड द्वारा पारित करने की तिथि**	**राज्य सरकार को भेजने की तिथि**	**पत्रांक**	**राज्य सरकार द्वारा पारित कर वापस करने की तिथि**
2014–15	11.03.14	13.03.14	467	संचिका में कोई सूचना दर्ज नहीं किया गया था

उक्त बजट प्राक्कलन को राज्य सरकार द्वारा इसे कब विचार कर लौटाया गया की सूचना संचिका में दर्ज नहीं थी।

(ख) बजट प्राक्कलन के विरूद्ध आधे से भी कम लक्ष्यों की प्राप्ति

नगर निगम द्वारा वार्षिक लेखा (नियम 82 तथा 83), वित्तीय विवरण (धारा 88) एवं तुलन पत्र (धारा 89) का संधारण नहीं किया गया था। इसके कारण अंकेक्षण द्वारा बजट में दर्शाये गये प्राप्तियों तथा व्ययों का वास्तविक आय– व्यय से शीर्षवार तुलना नहीं किया जा सका।

कटिहार नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16के बजट की प्रति लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध कराया गया। बजट की प्रति के अवलोकन से यह पता चला कि बजट में दर्शाए गए आय एवं व्यय की राशि रोकड़ बही में उस साल के प्राप्त वास्तविक राशि से काफी भिन्न है। जिसका विस्तृत विवरणी निम्न है।

क्र	**विवरण**	**2014–15**
1	बजट के अनुसार अनुमानित प्राप्ति	619940000
2	वास्तविक आय(नगर निगम द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2015–16के बजट के अनुसार 9 माह 97844180 एवं 3 माह का लेखापाल रोकड़ बही के अनुसार 121878505)	219722685
3	**बजट का प्रतिशत**	**35 प्रतिशत**
4	बजट के अनुसार अनुमानित व्यय	538023398
5	वास्तविक व्यय (नगर निगम द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2015–16के बजट के अनुसार 9 माह 139575461 एवं 3 माह का लेखापाल रोकड़ बही के अनुसार 63937873)	203513334
6	**बजट का प्रतिशत**	**38 प्रतिशत**

204

बजट प्राक्कलन बनाने की प्रकिया के अनुसार प्राक्कलन में दर्शाये गये राशि के विरूद्ध मात्र 10 प्रतिशत राशि का ही विचलन (कम/अधिक) मान्य होता है। लेकिन नगर निगम, कटिहार द्वारा पारित उक्त वर्ष के बजट प्रावधानों के विरूद्ध बहुत ही कम लक्ष्यों की प्राप्ति की गयी थी। अर्थात नगर निगम द्वारा पारित बजट काल्पनिक थी। लेखा परीक्षा में यह पूछे जाने पर कि किन कारणों से बोर्ड द्वारा पारित बजट के अनुसार आय– व्यय के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। निगम कार्यालय ने उत्तर दिया कि लेखा परीक्षक के सुझाओं को ध्यान में रखते हुए संतुलित बजट बनाने का प्रयास किया जाएगा। जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

13. वार्षिक लेखा का संधारण नहीं एवं वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र नहीं बनाया जाना।

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम– 82 तथा 83 में प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका के आय तथा व्यय का विवरण फार्म XVII तथा XVIII में दर्ज किया जाएगा तथा लेखापाल द्वारा फार्म XIX में वार्षिक लेखा संधारित किया जाएगा।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 88 तथा 89 में क्रमशः वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र तैयार करने का प्रावधान किया गया है। धारा 88 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर एक वित्तीय विवरण तैयार करना है जिसमें नगरपालिका लेखा के मद्दे पूर्ववर्ती वर्ष का आय– व्यय लेखा तथा प्राप्तियॉ एवं अदायगी को अंतर्विष्ट करना है। इसके अतिरिक्त धारा 89 में प्रावधान किया गया है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर पूर्ववर्ती वर्ष के लिए नगरपालिका की आस्तियों एवं दायित्वों से संबद्ध तुलन पत्र तैयार करना है। किन्तु कटिहार नगर निगम के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में उक्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया गया था। लेखा परीक्षा में यह पूछे जाने पर कि किन कारणों से उक्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया गया? निगम कार्यालय ने उत्तर दिया कि उक्त दस्तावेजों का संधारण कर लिया जाएगा। जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

14. आय – व्यय विवरणी एवं बैंक समाधान विवरणी नहीं बनाया जाना

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम 13(1) के अनुसार बैंक बही का संधारण लेखापाल को बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–3 में करना है। जिसमें प्रत्येक बैंक खातों के लिए पन्नों की श्रृंखला जिसमें बैंक का विवरण तथा खाता संख्या नामित कर तैयार किया जाना है। बैंक बही में प्रत्येक बैंक या ट्रेजरी खातों में जमा एवं निकासी से संबंधित, चाहे नकद या चेक में लेनदेन की गई हो सारी प्रविष्टियॉ की जायेगी। इसके अतिरिक्त 13(5) में प्रावधान किया गया है कि बैंक या कोषागार के खातों में वास्तविक अंतशेष का मिलान समय– समय पर तथा कम से कम महीने में एक बार बैंक बही के साथ करनी है।

लेकिन कटिहार नगर निगम के अभिलेखों के जॉच में पाया गया कि नगर निगम कार्यालय द्वारा न तो बैंक बही का संधारण किया गया है तथा न ही रोकड़ बहियों के मासिक अथवा वार्षिक अंतशेष का संबंधित बैंक खाताओं के अंतशेष के साथ मिलान कर समाधान विवरणी तैयार किया गया है।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– III पर)

लेखा परीक्षा में उक्त आपत्ति उठाए जाने पर निगम कार्यालय ने उत्तर दिया कि रोकड़ बही का संधारण सही तरीके से किया जाएगा एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आय– व्यय विवरणी एवं बैंक समाधान विवरणी बनाया जायगा। इसके अतिरिक्त कोई रोकड़ बही नहीं है।

15. सरकारी अनुदान.

सरकार अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले अनुदानों का संधारण अनुदान पंजी में किया जाना है तथा इसमें अनुदानवार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ का पूर्व शेष, वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाला अनुदान, वर्ष के दौरान किये गये व्यय तथा वर्ष के अन्तशेष को दर्ज किया जाना है। लेकिन कटिहार नगर निगम के द्वारा अद्यतन अनुदान पंजी संधारित नहीं किया गया था। इसके अभाव में सभी अनुदानों के संबंध में यह ज्ञात नहीं हो सका कि वित्तीय वर्ष 2014–15 का प्रारंभिक शेष क्या था तथा कौन से अनुदान कितने वर्षों से अनुपयोगी पड़े हुये थे।

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत विभिन्न सहायक रोकड़ बहियों एवं लेखापाल रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि नगर निगम कार्यालय को वर्ष 2014–15 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सरकारी अनुदान ₹ 145924030.00 (विवरणी संलग्न परिशिष्ट– IV पर) प्राप्त किया गया था।

अनुदान पंजी के अभाव में ज्ञात नहीं किया जा सका कि इन अनुदानों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया अथवा नहीं जिन प्रयोजनों के लिए ये अनुदान सरकार से प्राप्त हुए थे, साथ ही, यह भी ज्ञात नहीं किया जा सका कि प्राप्त अनुदानों के विरूद्ध कितने राशी का उपयोग किया गया तथा वर्ष के अंत में कितनी राशी अनुपयोगी पड़ी रही।

लेखा परीक्षा में उक्त आपत्ति उठाये जाने पर निगम कार्यालय ने उत्तर दिया कि सरकारी अनुदान पंजी का संधारण किया जाता है अभी यह अपूर्ण है शीघ्र अद्यतन कर लिया जायेगा। जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय और अनुदान पंजी का संधारण कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय ताकि उक्त वांछित जानकारी प्राप्त हो सके।

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय नगर निगम, कटिहार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। यदि इकाई द्वारा कोई सूचना गलत दी गई है तो उसका उत्तरदायित्व कार्यालय, महालेखाकार (ले.प.), बिहार, पटना का नहीं होगा।

202

भाग– II

खण्ड– (क)

कंडिका– 1 भाग– II ख कंडिका 1 में शामिल

भाग– II

खण्ड– (ख)

कंडिका– 1 पंच फॉउण्डेशन को अधिक भुगतान ₹2.98 लाख और अनियमित भुगतान ₹103.77 लाख

कटिहार नगर निगम के 9 वार्डों के सफाई की जिम्मेवारी पंच फॉउण्डेशन नामक संस्था को दी गयी थी। उक्त संचिका के अवलोकन के दौरान निम्नलिखित अनियमितता पाई गई।

पंच फॉउण्डशन एक गैर सरकारी संस्था है। जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए (1) उपधारा (बी) के तहत आयकर अधिनियम 12ए के उद्धश्यों के लिए दिनांक 01.04.2007 से पंजीकृत है। इसका मुख्यालय पटना (बिहार) में है। कटिहार नगर निगम द्वारा अपने 09 वार्डो में सफाई व्यवस्था को ठीक रखने के उद्देश्य से दिनांक 13.09.2014 को एक निविदा दैनिक जागरण सामाचार –पत्र में निकाली गयी। निविदा के आलोक में पांच निविदादाता ने निविदा डाली। जिसमें सेवा भरत, पंच फॉउण्डशन और हरशीता संस्थाओं के निविदा को तकनीकी रूप से सफल घोषित किया गया। उक्त तीनों संस्थाओं के वित्तीय निविदा के अवलोकन के बाद क्रय समिति ने सबसे निम्न निविदादाता पंच फॉउण्डशन को ₹ 8852050.00 प्रतिवर्ष के करार पर चयन किया।

चयनोपरान्त कार्यालय नगर निगम के कार्यादेश संख्या 1640 दिनांक 13.10.2014 को पंच फॉउण्डशन को 16.10.2014 से 9 वार्डों को सफाई कार्य प्रारंभ करने हेतु आदेश निर्गत किया गया। दिनांक 13.10.2014 को नगर निगम कटिहार एवं पंच फॉउण्डशन के बीच टेंडर नोटिश संख्या 04/SWM/2014–15 दिनांक 06.09.2014 को निम्न शर्त्तों के अधीन एकरारनामा किया गया।

(i) उक्त एकरारनामा पांच वर्षे के लिया किया गया। (शर्त्त सं0–1)

(ii) पंच फॉउण्डेशन को बिहार सरकार के छुट्टी एवं रविवार के छुट्टी के अलावा सभी दिन सफाई कार्य करना था। (शर्त्त सं0–3.2)

(iii) पंच फॉउण्डेशन को अपने संसाधनों से सफाई कार्य कराना था। (शर्त्त सं0–3.4)

(iv) पंच फॉउण्डेशन के द्वारा स्वच्छ छाता मित्र के अंतर्गत लोगों को रोजगार की व्यवस्था भी की जानी थी। (शर्त्त सं0–3.5)

(v) पंच फॉउण्डेशन नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराए गये स्थान मानशाही रोड का उपयोग कूड़ा को डम्प करने, (segregation) करने एव (Recycling) करने के लिए करेगा। पंच फॉउण्डेशन का segregated

reycled waste पर वाणिज्यिक अधिकार (Commercial right) नहीं होगा, इस पर नगर निगम कटिहार का अधिकार होगा। (शर्त्त सं0–3.8)

(vi) पंच फॉउण्डेशन को उक्त सफाई कार्य हेतु रू 8852050.00 प्रतिवर्ष (मासिक रू 737670.00) की दर से भुगतान किया जाएगा। पंच फॉउण्डेशन के द्वारा उक्त सफाई कार्य के विरूद्ध प्राप्त राशि उक्त भुगतान से घटाकर भुगतान किया जायेगा। (शर्त्त सं0–4.6)

(vii) उक्त कार्य का पर्यवेक्षण कटिहार नगर निगम के सेनेटरी इंस्पेक्टर इन्चार्ज करेंगें और सेनेटरी इंस्पेक्टर इन्चार्ज उक्त सफाई का प्रतिवेदन नगर आयुक्त एवं महापौर को समर्पित करेंगे।(शर्त्त सं0–4.7)

(viii) वित्तीय वर्ष 2014–15 से लेखा परीक्षा अवधि तक (दिसम्बर 2015) के अवधि में नगर निगम कटिहार द्वारा पंच फॉउण्डेशन को किए गए सफाई कार्य के विरूद्ध राशि ₹ 10377650.00 का भुगतान किया गया। जिसका विस्तृत विवरणी निम्नवत है–

क्रम संख्या	महीना	चेक सं0	दिनांक	डोर टू डोर कचरा उठाने के विरूद्ध प्राप्त राशि	नगर निगम के द्वारा उपलब्ध संसाधनों के विरूद्ध प्राप्त राशि	भुगतान की गयी राशि
1.	अक्टूबर 2014 (15 दिन)	897441	03.11.2014			368835
2.	नवम्बर 2014	897442	04.12.2014			737670
3.	दिसम्बर 2014	897446	03.01.2015			737670
4.	जनवरी 2015	897403	04.02.2015			737670
5.	फरवरी 2015	897405	28.02.2015			737670
6.	मार्च 2015	897410	01.04.2015	18300		719370
7.	अप्रैल 2015	257884/83	05.05.2015	18830		718840
8.	मई 2015	257904/4	05.06.2015	19065		718605
9.	जून 2015	257932/32	03.07.2015	16380		721290
10.	जूलाई 2015	897414	04.08.2015	17610	30160	689900
11.	अगस्त एवं सितम्बर 2015	897417	17.10.2015	32975	60320	1382045
12.	अक्टूबर 2015	897419	12.11.2015	15200		722470
13.	नवम्बर 2015	897423	12.12.2015	13365	60320	663985
14.	दिसम्बर 2015	843867/65	09.01.2016	16040		721630
				167765	150800	10377650

अंकेक्षण आपत्ति :–

(i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194सी में प्रावधान किया गया है कि केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकार में आउटसोर्सिंग कार्य अथवा संविदा पर लेबर सप्लाई के विपत्रों से आयकर की कटौती कर उसे सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाएगा। यह राशि पैन वाले आपूर्तिकर्ता के माामले में दो प्रतिशत तथा बगैर पैन वाले आपूर्तिकर्ता के मामले में बीस प्रतिशत निर्धारित की गयी है। अतएव उक्त संस्था के विपत्रों से भुगतान की गयी कुल राशि में से दो प्रतिशत राशि अर्थात् कुल ₹ 213924 की कटौती नहीं की गयी थी। जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है–

200

क्रम संख्या	आउटसोर्सिंग संस्था	भुगतान की गयी कुल राशि (₹)	आयकर कटौती योग्य राशि (₹)
1.	पंच फॉउण्डेशन	167765+ 150800+ 10377650 = 10696215	213924
	योग	10696215	213924

अतएव निगम कार्यालय द्वारा उक्त संस्था के विपत्रों से भुगतान से पूर्व नियमानुसार आयकर की कटौती नहीं किये जाने के कारण उक्त संस्था को ₹ 213924 से लाभान्वित किया गया। जिसकी वसूली संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से किया जाय।

(ii) बिहार सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग संख्या 3/UIG–रिफॉर्म्स 10/2012–1251 दिनांक 12.07.2013 के अनुसार बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 128 एवं 228 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत नगर निकाय क्षेत्र में घर– घर प्रभार संग्रह के लिए शुल्क एवं दण्ड निर्धारित करने का प्रावधान है।

उक्त प्रावधान के आलोक में नगरपालिका क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपभेक्ता शुल्क निर्धारित किया जाता है। नगरपालिका अपने– अपने क्षेत्रों में निम्नांकित दर से शुल्क की उगाही कर सकेगी।

क्रम सं0	उपभोक्ता की श्रेणी	नगर निगम (न्यूनतम मासिक शुल्क)
(क)	आवासीय घर	30
(ख)	गैर आवासीय	
(i)	दुकान, खानपान के स्थान	100
(ii)	रेस्टुरेंट, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होस्टल	500
(iii)	सितारा होटल या उसके समतुल्य होटल	5000
(iv)	व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग क्लासेस, शैक्षणिक संस्थान	500
(ग)	स्वास्थ्य सेवा संस्थान	
(i)	क्लीनिक, डिस्पेंसरी, लेबोरेटरीज	250
(ii)	अस्पताल (50 शय्या तक)	1500
(iii)	अस्पताल (50 शय्या से अधिक)	3000
(घ)	अन्य	
(i)	निगम क्षेत्र में स्थित लघु और कुटीर उद्योग, वर्कशॉप (केवल गैर खतरनाक) अवशिष्ट 10 कि0 ग्रा0 प्रतिदिन	500
(ii)	गोदाम, कोल्ड स्टोरेज (केवल गैर खतरनाक) अवशिष्ट	1000
(iii)	शादी हॉल, उत्सव हॉल प्रदर्शनी एवं मेला	2500

एकरारनामा की कंडिका शर्त्त सं0–4.6 के अनुसार पंच फॉउण्डेशन के द्वारा डोर टू डोर सफाई कार्य के विरूद्ध नगर निगम के निवासियों सेउक्त दरों से प्राप्त राशि उक्त भुगतान से घटाकर भुगतान किया जायेगा। किन्तु अक्टूबर 2014 से फरवरी 2015 तक एक भी राशि की कटौती पंच फॉउण्डेशन के द्वारा समर्पित विपत्रों से नहीं किया गया। मार्च 2015 से दिसम्बर 2015 तक दस महीनों में ₹ 167765 औसत ₹ 16776.5 प्रति महीने मात्र की कटौती पंच फॉउण्डेशन के विपत्रों से की गयी थी। लेखा परीक्षा

में उक्त 9 वार्डों में स्थित उक्त आवासीय घरों, गैर आवासीय घरों, स्वास्थ्य सेवा संस्थानों, और अन्य मकानों की सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिसके कारण वास्तव में डोर टू डोर सफाई कार्य के विरूद्ध नगर निगम के निवासियों में प्राप्त राशि की गणना नहीं की जा सकी।

लेखा परीक्षा में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि किन परिस्थितियों में अक्टूबर 2014 से फरवरी 2015 तक पंच फॉउण्डेशन के द्वारा प्रस्तुत विपत्रों से डोर टू डोर सफाई कार्य के विरूद्ध नगर निगम के निवासियों से उक्त दरों से प्राप्त राशि की कटौती किये बिना ही भुगतान किया गया। जिसके कारण कम से कम ₹ 16776.5 प्रति माह के दर से 5 माह का ₹ 83882.5 (₹ 16776.5 X 5) का अधिक भुगतान पंच फॉउण्डेशन को किया गया। जिसकी वसूली उक्त अधिक भुगतान के जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय।

एकरारनामा की कंडिका 3.8 के अनुसार पंच फॉउण्डेशन को चयनित –09 वार्डो से कूड़ा को उठाकर निर्देशित स्थान पर डम्प करना था, कुड़े को (Bio & Non Bio) में अलग– अलग करना था, तथा फिर उसे Recycle करना था, ताकि कटिहार नगर वासियों की स्वच्छ वातावरण/पर्यावरण मिल सके, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का मूल उद्देश्य है, परन्तु संचिका से पता चला कि कूड़ा को उठाकर निर्देशित स्थान पर डम्प करने के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं किया गया था। एकरारनामा के अनुसार कार्य नहीं किये जाने के बावजूद भी पंच फॉउण्डेशन को राशि ₹ 10696215 (₹167765+ ₹150800 + ₹ 10377650) का भुगतान किया गया।

(iii) एकरारनामा के शर्त्त सं0–3.5 के द्वारा पंच फॉउण्डेशन द्वारा स्वच्छ छाता मित्र के अंतर्गत लोगों को रोजगार के व्यवस्था भी की जानी थी। किन्तु पंच फॉउण्डेशन के द्वारा स्वच्छ छाता मित्र के अंतर्गत किन लोगों को रोजगार दिया गया की कोई भी जानकारी संचिका में उपलब्ध नहीं था, पंच फॉउण्डशन के द्वारा स्वच्छ छाता मित्र के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की सूची भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(iv) एकरारनामा के शर्त्त सं0–4.7 के द्वारा पंच फॉउण्डशन के द्वारा किया गया उक्त सफाई कार्य का पर्यवेक्षण कटिहार नगर निगम के सेनेटरी इंस्पेक्टर इन्चार्ज करेंगें और सेनेटरी इंस्पेक्टर इन्चार्ज उक्त सफाई का प्रतिवेदन नगर आयुक्त एवं महापौर को समर्पित करेंगे। किन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पंच फॉउण्डशन के संचिका के अवलोकन के दौरान पाया गया कि पंच फॉउण्डेशन के द्वारा किये गये कार्य का विस्तृत विपत्र समर्पित नहीं किया गया था और न ही सेनेटरी इंस्पेक्टर इन्चार्ज द्वारा उक्त सफाई का प्रतिवेदन नगर आयुक्त एवं महापौर को समर्पित किया गया था। लेखा परीक्षा में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि बिना उक्त विपत्रों एवं प्रतिवेदनों के किस प्रकार पंच फॉउण्डेशन के किये गये कार्य का भुगतान किया गया।

(v) एकरारनामा के शर्त्त सं0–3.4 के द्वारा पंच फॉउण्डशन को अपने संसाधनों से सफाई कार्य कराना था। किन्तु कटिहार नगर निगम के द्वारा जुलाई 2015 से नवम्बर 2015 के मध्य कॉम्पेक्टर मोटर मशीन इत्यादि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹ 30160.00 प्रतिमाह के दर से कटौती की गयी थी। पंच

198

फॉउण्डेशन को उपलब्ध कराये गये कॉम्पेक्टर मोटर मशीन इत्यादि की संचिक़ा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा में उक्त आपत्तियों को उठाये जाने पर कार्यालय निगम कटिहार ने उत्तर दिया कि पंच फॉउण्डेशन से आयकर की कटौती की जायगी एवं अन्य कटौतियां भी अंकेक्षण परीक्षा दल के निर्देशानुसार जाँचोपरान्त की जायगी। जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

कंडिका– 2 संचार टावरो का अनाधिकृत अधिष्ठापन एवं पंजीकरण और नवीकरण शुल्क की वसूली नहीं राशि ₹ 107.75 लाख

बिहार सरकार द्वारा संचार टावर संबंधित संरचना पर करों के सम्बन्ध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कोई संचालक जो पूर्व मे संचार टावर स्थापित कर चुका है या स्थापित करना चाहता है उसे संबंधित दस्तावेज तथा विहित अपेक्षित फीस के साथ नगरपालिका को आवेदन करना है।

नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर निगम पंजीकरण शुल्क के रूपमें ₹ 50000 प्रति टावर एवं ₹ 15000 नवीकरण शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया है। नियमतः 6(4) के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से लगाया जाएगा। नियमावली 6(7) के अनुसार वार्षिक नवीकरण फीस पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम में देय होगा अथवा अनुपातिक रूप से देय होगा अगर पंजीकरण वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत की जाती है। वार्षिक नवीकरण शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह को देय होगा। अगर उस वित्तीय वर्ष का वार्षिक नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक नहीं प्राप्त होता हे तो 1/5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

कटिहार नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2014–15 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर निगम के द्वारा प्रस्तुत विवरणी के अनुसार 87 संचार मीनार नगर निगम, कटिहार मे अधिष्ठापित थे। अधिष्ठापित संचार मीनार का निबंधित एकरारनामा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, और उक्त संचार मीनार के अधिष्ठापना हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

नगर निगम, कटिहार द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़ों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दिनांक 31.03.2015 तक 23 अधिष्ठापित संचार मीनार की बकाया राशि ₹ 7130000 थी.। जिसका विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है–

क्रम संख्या	विवरण	राशि (₹)
(i)	पूर्व की मांग	5815000.00
(ii)	वित्तीय वर्ष 2014–15 की मांग	1315000.00
(iii)	कुल माँग	7130000.00
(iv)	पूर्व की मांग का प्राप्त राशि	शून्य
(v)	वित्तीय वर्ष 2014–15 की मांग का प्राप्त राशि	शून्य
(vi)	कुल प्राप्त राशि	शून्य
(vii)	कुल बकाया राशि	7130000.00

लेखा परीक्षा में 87 संचार मीनारों के अधिष्ठापित सूची प्रस्तुत किये जाने के वावजूद भी मात्र 23 संचार मीनारों से माँग एवं वसूली का राशि ₹ 7130000.00 के बकाया का सूची किस प्रकार प्रस्तुत किया गया का कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012के नियम 6(7) के अनुसार बकाया राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज की गणना की जानी थी। अतएव बकाया राशि पर उक्त दर से गणना की गयी थी अथवा नहीं, यह भी लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत संचार मीनारों के अधिष्ठापित सूची के अनुसार निम्न संचार मीनारों से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क नही लिया जा रहा था।

क्रम संख्या	अधिष्ठापित संचार मिनार के जगह का नाम श्री/श्रीमती/मो0	कंपनी का नाम	अधिष्ठापना का वर्ष	पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क की राशि
(i)	हरेन्द्र प्रसाद सिंह, ललीयाही कटिहार	डेसनेट एयरसेल	2007–08	155000
(ii)	जितेन्द्र प्रसाद चौरसिया, मंगल बाजार, कटिहार	डेसनेट एयरसेल	2007–08	155000
(iii)	जानकी देवी, वनिया टोला, कटिहार	डेसनेट एयरसेल	2007–08	155000
(iv)	राज किशोर साह, डी0 एस0 कॉल0 रोड, कटि0	डेसनेट एयरसेल	2007–08	155000
(v)	मीना देवी, नं0 दो कॉलनी, कटिहार	डेसनेट एयरसेल	2007–08	155000
(vi)	माली राम अग्रवाल, पावर हाउस, कटिहार	डेसनेट एयरसेल	2007–08	155000
(vii)	काशी प्र0 गुप्ता, मिर्चाई बारी कटिहार	डेसनेट एयरसेल	2007–08	155000
(viii)	विमल किशोर सिन्हा, बरमसिया, कटिहार	डेसनेट एयरसेल	2007–08	155000
(ix)	आन्नद मोहन राय, संग्राम चौक, कटिहार	डेसनेट एयरसेल	2007–08	155000
(x)	नुरूल होदा, अमला टोला, कटिहार	क्योपो टेलिकॉम	2009–10	125000
(xi)	मीना रानी दास, बनिया टोला कटिहार	क्योपो टेलिकॉम	2009–10	125000
(xii)	रीता देवी, मिर्चाई बारी, कटिहार	क्योपो टेलिकॉम	2009–10	125000
(xiii)	राजश एवं राकश कुल परा अनाथ0 रोड, कटि0	क्योपो टेलिकॉम	2009–10	125000
(xiv)	हरेन्द्र प्रसाद सिंह, लौहिया नगर, कटिहार	क्योपो टेलिकॉम	2009–10	125000
(xv)	राम बहादुर सिंह, लौहिया नगर, कटिहार	क्योपो टेलिकॉम	2009–10	125000
(xvi)	अनिल कुमार, नया टोला, कटिहार	क्योपो टेलिकॉम	2009–10	125000
(xvii)	विजय कुमार चौधरी, विनोदपुर कटिहार	क्योपो टेलिकॉम	2009–10	125000
(xviii)	खालीकुजामा, रामपारा, कटिहार	क्योपो टेलिकॉम	2009–10	125000
(xix)	जवाहर लाल राय, गौसला, कटिहार	क्योपो टेलिकॉम	2009–10	125000
(xx)	राज कुमारी देवी, लाल कोठी रोड, कटिहार	क्योपो टेलिकॉम	2009–10	125000

196

(xxi)	मशीउल्लाह, शरीफगंज, कटिहार	क्योपो टेलिकॉम	2009–10	125000
(xxii)	मृत्संजय नायक, तिनगाछीया, कटिहार	क्योपो टेलिकॉम	2009–10	125000
(xxiii)	शंकर यादव, बारमशिया, कटिहार	क्योपो टेलिकॉम	2009–10	125000
(xxiv)	परशुराम, नया टोला, कटिहार	वायरलेस टी0 टी0	2009–10	125000
(xxv)	रामानन्द प्र0 चौ0 भेसिया रहिका, कटिहार	वायरलेस टी0 टी0	2009–10	125000
(xxvi)	बंसती देवी, लाल कोठी रोड, कटिहार	वायरलेस टी0 टी0	2009–10	125000
(xxvii)	विजय यादव, बरमशिया, कटिहार	वायरलेस टी0 टी0	2009–10	125000
				3645000

मोबाईल मीनार टावरों पर अतिरिक्त एंटिना लगाये जाने से संबंधित संचिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण अतिरिक्त एंटिना की गणना नहीं की जा सकी। अतिरिक्त एंटिना लगाये जाने से संबंधित संचिका अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

अतएव विभिन्न मोबाइल कम्पनियों पर बकाया राशि ₹ 10775000 (₹ 7130000 + ₹ 3645000) की वसूली अतिशीघ्र किया जाय।

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत संचार मिनारों के अधिष्ठापित सूची के अनुसार शेष 60 (87–27) संचार मीनारों से जिनसे पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क कटिहार नगर निगम द्वारा लिया जा रहा था, और उक्त संचार मीनार जिन व्यक्तियों के घरों और जमीनों पर अवस्थित थे का विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–V पर दिया गया है। उक्त विवरणी में उक्त संचार मीनारों के अधिष्ठापन की तिथि दर्ज नहीं थी, तथा यह भी दर्ज नहीं था कि उक्त संचार मीनारों से कब तक का नवीकरण शुल्क लिया जा चुका है अतएव उक्त संचार मीनारों से उक्त बकाया नवीकरण शुल्क एवं बकाया राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज की गणना भी नहीं की जा सकी।

उक्त 87 संचार मीनार जिन व्यक्तियों के घरों और जमीनों पर अवस्थित थे, उन घरों एवं जमीनों के गृह कर/सम्पत्ति कर निगम कार्यालय द्वारा किन दरों से वसूली की जा रही थी का विस्तृत विवरणी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण लेखा परीक्षा में यह ज्ञात नहीं हो सका कि निगम कार्यालय द्वारा निर्धारित व्यवसायिक दरों से उक्त घरों एवं जमीनों से गृह कर/सम्पत्ति कर निगम कार्यालय द्वारा वसूली की जा रही थी। लेखा परीक्षा में उक्त आपत्तियों को उठाये जाने पर कार्यालय निगम कटिहार ने उत्तर दिया कि–

(1) संबंधित संचार कम्पनियों से पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क की वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायगी।

(2) जिन भवनों पर संचार मीनार अधिष्ठापित है उसके संबंध में कर दारोगा से जाँच कराकर सम्पत्ति कर व्यवसायिक दर से वसूली करने की कार्रवाई की जाएगी। जवाब के अनुरूप कार्रवाई कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाय।

कंडिका– 3 नक्शा पारित करने में ₹ 46.72 लाख के श्रम सेस की वसूली नहीं किया जाना

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या– वी0सी0डब्लू0सी0–01/2008 द्वारा राज्य सरकार के सभी कार्य विभागों को यह सूचित किया गया था कि बिहार राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" का गठन दिनांक–18.02.08 को किया जा चुका है। साथ ही सभी कार्य विभागों से यह अनुरोध किया गया था कि वे वित्तीय वर्ष 2007–08 से उनके द्वारा लिए गये योजनाओं के कुल लागत का एक प्रतिशत सेस श्रम संसाधन विभाग के विकास भवन में गठित "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" में जमा करें।

इसके अतिरिक्त वैसे रिहायसी मकान जो निजी उपयोग के लिए बनाये गये थे और जिसका लागत 10 लाख रूपये से अधिक था उनसे एक प्रतिशत राशि नक्शा पारित करने के समय ही वसूल कर नगर निगम अथवा नगरपालिका में जमा करना था।

साथ ही यह भी प्रावधान किया गया था कि निर्धारित समय पर सेस जमा नहीं करने पर कुल सेस का दो प्रतिशत प्रतिमाह सूद के देनदार होंगे। साथ ही कुल शेष राशि के बराबर अर्थात एक प्रतिशत + एक प्रतिशत – कुल दो प्रतिशत सेस राशि उनसे वसूली जाएगी। प्राधिकारी जिनके द्वारा सेस जमा किया जाएगा जमा किए जाने वाले कुल उपकर राशि का एक प्रतिशत प्रशासनिक एवं अन्य खर्च हेतु व्यय कर सकेंगे।

श्रम संसाधन विभाग द्वारा इसके व्यापक प्रचार– प्रसार के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से भी यह सूचना प्रकाशित करायी गयी थी।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन में नक्शा पारित करते समय न तो नगर निगम कार्यालय द्वारा तथा न ही वास्तुविदों द्वारा इस सेस की वसूली की गयी थी। नगर निगम कार्यालय तथा वास्तुविदों द्वारा नक्शों में भवन निमार्ण की प्राक्कलित राशि भी नहीं दर्शायी गयी थी। इसके कारण अंकेक्षण द्वारा श्रम सेस की वास्तविक हानि ज्ञात नहीं की जा सकी।

भारत सरकार के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं मानक एकक) निर्माण भवन, नई दिल्ली के पत्रांक सं0 62/एस ई (टी ए एस) प्लिन्थ एरिया रेट्स/ 122 दिनांक 12.12.2007 के अनुसार दिनांक 01.10.2007 से नई कुरसी क्षेत्र (आधार 100 पर) दर लागू था। जिसके अनुसार प्रति फ्लोर 2.90 मी0 ऊँचाई वाले आवासीय/गैर आवासीय छः तल्ले तक के भवनों के निर्माण का लागत ₹ 9000.00 प्रति वर्गमीटर था। इस आधार दर पर समयानुसार मूल्य सूचकांक की भी स्वीकृति दी गयी थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

194

पत्रांक/दिनांक	स्थल का नाम	लागू होने की तिथि	मूल्य सूचकांक
No.19(2)/CE(EZ-II)/2008/ 806 दिनांक 25.6.2008	पटना	04/2008	122
No.19(2)/CE(EZ-II)/2009/2010 दिनांक 21.12.2009	पटना	12/2009	147
No.19(2)/CE(EZ-II)/2011/73 दिनांक 12.1.2011	पटना	12/2010	155
स 19(2)/मु0अ0(पू.अं.–II)/2011/ 4648–71 दिनांक 28.12.11	पटना	12/2011	169
सं 19(2)/मु0अ0(पू.अं.– II)/2013/ 189–203 दिनांक 09.01.13	पटना	01/2013	179

वर्ष 2007 में लागू प्रति वर्गमीटर कुर्सी दर ₹ 9000 के आधार दर पर 179 प्रतिशत मूल्य सूचकांक को जोड़कर वर्ष 2014–15 में नगर निगम एवं वास्तुविदों द्वारा पारित कुल नक्शों के लागत मूल्य की गणना की गयी। इसके आधार पर जिन भवनों का लागत मूल्य ₹ 10 लाख से अधिक था के गणना के आधार पर पाया गया कि नगर निगम द्वारा न्यूनतम कुल ₹ 4672774 लाख के श्रम सेस की वसूली नहीं की गयी थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

वर्ष	स्वीकृत नक्शों की सं0		10 लाख रू0 से अधिक लागत मूल्य के भवनों की सं0	वसूल नहीं की गयी श्रम सेस की राशि	नगर निगम कार्यालय को सेस वसूली में हुयी प्रशासनिक हानि	अभियुक्ति
	वास्तुविदों द्वारा	निगम कार्यालय द्वारा				
2014–15	28	44	72	4672774	46728	₹ 9000 का 179 % = ₹16110
योग				4672774	46728	

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– VI पर दिया गया है।)

लेखा परीक्षा में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किन परिस्थितियों में श्रम सेस की राशि की कटौती उक्त भवनों जिसका लागत मूल्य ₹ 10 लाख से अधिक था से नहीं की गयी थी। जिसके कारण श्रम विभाग को ₹ 4672774 लाख के श्रम सेस की हानि हुयी तथा इसके अतिरिक्त ₹ 0.46 लाख की प्रशासनिक हानि नगर निगम को हुयी।

नगर निगम कार्यालय द्वारा स्वयं तथा वास्तुविदों के माध्यम से श्रम सेस की वसूल नहीं करने का कारण भी लेखा परीक्षा में स्पष्ट किया जाय।उक्त हानि की राशि ₹ 4672774 को नगर निगम कार्यालय द्वारा अथवा संबंधित वास्तुविदों के माध्यम से सूद सहित वसूल कर श्रम विभाग में जमा किया जाए। लेखा परीक्षा में उक्त आपत्तियों को उठाये जाने पर कार्यालय निगम कटिहार ने उत्तर दिया कि नक्शा पास करने के समय संबंधित श्रम सेस की वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई के लिए अभियंत्रण प्रशाखा को निर्देश दिये गये हैं। जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

कंडिका– 4 बकाया होल्डिंग टैक्स ₹ 235.39 लाख का विद्युत विपत्रों से समांजन नहीं, और ₹ 16.10 लाख का अनियमित भुगतान

कटिहार नगर निगम द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत विद्युत विपत्रों के संचिका संख्या 1–6/आबंटन/13th F.C के अवलोकन के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में निम्न विद्युत

विपत्रों का भुगतान नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को किया गया। जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है–

क्रम सं0	तिथि	चेक संख्या	राशि	मद	विवरण
1.	28.07.2014	897437	4032201.00	तेरहवां वित्त आयोग	जून 2014
2.	09.09.2014	257534	3200000.00	चतुर्थ वित्त आयोग	जुलाई 2014
3.	09.09.2014	897539	1800000.00	तेरहवां वित्त आयोग	जुलाई 2014
4.	28.08.2014	897438	14847.00	तेरहवां वित्त आयोग	जुलाई 2014
5.	31.10.2014	897440	30067.00	तेरहवां वित्त आयोग	सितम्बर 2014
6.	05.12.2014	897444	3000000.00	तेरहवां वित्त आयोग	अक्टूबर 2014
7.	27.12.2014	257583	3000000.00	नगर निगम निधि/चतुर्थ वित्त आयोग	माह में अनडिफाइंड (Undefined) लिखा हुआ है।
8.	31.01.2015	257806	3000000.00	–तथैव–	दिसम्बर 2014
9.	28.02.2015	257832	1000000.00	नगर निगम निधि	जनवरी 2015
10.	26.03.2015	257846	4000000.00	चतुर्थ वित्त आयोग	फरवरी 2015
		कुल	23077115.00		

अंकेक्षण टिप्पणीः–

(i) तेरहवें वित्त आयोग के आवंटित राशि के निकासी के दिशा निर्देशों के अनुसार बिजली बोर्ड को किसी राशि के भुगतान के पूर्व बिजली बोर्ड पर बकाये का सामंजन निश्चित रूप से किया जाना था, किंतु उक्त विद्युत विपत्रों के भुगतान के पूर्व बिजली बोर्ड पर कटिहार नगर निगम में अवस्थित नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के होल्डिंगों पर बकाया राशि ₹ 23539503.00 का सामंजन आज तक नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त आपत्तियों को उठाये जाने पर कार्यालय निगम कटिहार ने उत्तर दिया कि जाँचोपरान्त उचित कार्रवाई की जायेगी। उत्तर मान्य नहीं है, तेरहवें वित्त आयोग के आवंटित राशि के निकासी के दिशानिर्देशों के अनुसार बिजली बोर्ड पर बकाये का सामंजन निश्चित रूप से किया जाय और इसका सामंजन कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाय।

(ii) बिहार सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्र संख्या–2ब0/बजट 14–16/2014/2090 दिनांक 28.04.2015 के अनुसार सभी नगर निकायों को निर्देश दिया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग के विरूद्ध बकाये विपत्र की राशि 442.31 करोड़ को समायोजित किया जाएगा। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 तक के बकाये विद्युत विपत्र का समायोजन उर्जा विभाग द्वारा किया जायेगा। अतएव वित्तीय वर्ष 2014–15 तक के बकाये विद्युत विपत्र का भुगतान कटिहार नगर निगम के द्वारा नहीं किया जाना था, किंतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को ₹ 23077115.00 का भुगतान किया गया। अतएव उक्त बकाया भुगतान की राशि का सामंजन नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के आगे के विपत्रों से किया जाय।

(iii) नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के द्वारा दिये गये मासिक बिजली विपत्रों का आधार लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। उक्त कम्पनी के द्वारा कोई भी मीटर नहीं लगाया था तब किस आधार पर मासिक बिजली विपत्रों की गणना की जाती है? कटिहार नगर निगम में कितने सारे

1192

कार्यरत हाई मास्ट लाईट, स्ट्रीट लाईट, बल्व इत्यादि हैं, और कितने वाट एवं कितने घंटे जलते हैं का विस्तृत विवरणी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण मासिक बिजली विपत्रों की जाँच नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा में यह भी स्पष्ट किया गया कि उक्त मासिक बिजली विपत्रों के भुगतान के पूर्व किस प्रकार उक्त विपत्रों की जाँच की गयी। उक्त कंपनी के द्वारा बिना महीने का नाम लिखे हुए मासिक बिजली विपत्र समर्पित किया गया, उक्त विपत्र की जाँच किस प्रकार की गयी, यह भी लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। लेखा परीक्षा में उक्त आपत्तियों को उठाये जाने पर कार्यालय निगम कटिहार ने उत्तर दिया कि जाँचोपरान्त उचित कार्रवाई की जायेगी। जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

(iv) उक्त संचिका के अवलोकन के दौरान यह भी पाया गया कि सरकार के दिशा निर्देशानुसार अप्रैल 2015 से नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड का विद्युत विपत्र का भुगतान किया जाना था। अतएव उक्त कम्पनी के द्वारा अप्रैल 2015 का प्रारम्भिक विद्युत विपत्र 30.04.2015 तक भुगतान करने पर ₹ 5751444.00 का भुगतान किया जाना था और 20 दिन विलंब से भुगतान करने पर ₹ 5858586.00 का भुगतान किया जाना था। उक्त प्रारम्भिक विद्युत विपत्र में चालू माह का विलम्ब अधिभार ₹ 1503250.00 था जो कि संभव नहीं है अर्थात बिना महीना खत्म हुये उक्त महीने का विलम्ब अधिभार किस प्रकार संभव है। उक्त विपत्र का भुगतान दिनांक 30.04.2015 को ₹ 5858586.00 किया गया। जबकि उक्त विद्युत विपत्र का भुगतान दिनांक 30.04.2015 तक मात्र ₹ 4248194.00 (₹ 5751444.00 – ₹ 1503250.00) का भुगतान किया जाना था। अतएव ₹ 1610392.00 (₹ 5858586.00– ₹ 4248194.00) का अधिक भुगतान नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को किया गया। लेखा परीक्षा में उक्त आपत्तियों को उठाये जाने पर कार्यालय निगम कटिहार ने उत्तर दिया कि जाँचोपरान्त उचित कार्रवाई की जायेगी। उत्तर मान्य नहीं है। अतएव उक्त अधिक भुगतान की राशि ₹ 1610392.00 का वसूली उक्त अधिक भुगतान के जिम्मेवार व्यक्तियों से किया जाय।

कंडिका– 5 नक्शा स्वीकृति में डेवलपमेन्ट परमिट फीस नहीं लेने के कारण ₹ 1.92 लाख की हानि

बिल्डिंग बाई लॉ के नियम 4.1 के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति संगठन सहित, केन्द्र/राज्य सरकारों के विभाग या स्थानीय निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन करने या गिराने अथवा भूमि के किसी खण्ड का विकास करने से पूर्व प्राधिकार से पृथक भवन निर्माण अथवा विकास करने की अनुमति लेना होगा। इसके अतिरिक्त, मोडिफाईड बिल्डिंग बाई–लॉ के बाई–लॉ सं0 6.1 में यह प्रावधान किया गया है कि नक्शा का कोई भी आवेदन तब तक वैध नहीं होगा जब तक की आवेदनकर्ता बाई–लॉ सं0 6.2 में उल्लेखित निम्न डेवलपमेन्ट परमिट फीस जमा नहीं कर देता है तथा आवेदन के साथ रसीद का अभिप्रमाणित कॉपी संलग्न नहीं करता है–

क्षेत्रफल	परमिट फीस
एक हेक्टेयर तक	₹ 1500/–
एक हेक्टेयर एवं उससे ऊपर तथा 2.5 हेक्टेयर तक	₹ 3000/–
2.5 हेक्टेयर से ऊपर	₹ 5000/–

वाणिज्यिक भवनों के लिए उपरोक्त का दोगुना शुल्क लेना है।

राज्य सरकार ने जून 2009 में एक अधिसूचना निकाला कि 15 जूलाई 2009 के बाद सभी भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति वास्तुविदों द्वारा दिया जाएगा तथा 'विकास परमिट शुल्क', भवन निर्माण परमिट शुल्क एवं अन्य शुल्क जो स्थानीय शहरी निकायों द्वारा लगाया जाएगा की वसूली वास्तुविदों द्वारा की जाएगी तथा भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति के लिए प्रतिवेदनों के साथ प्राप्त राशि निगम कोष में उनके द्वारा जमा की जाएगी।

लेकिन निगम कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 की अवधि में स्वीकृत नक्शों की जॉच में पाया गया कि किसी भी नक्शा की स्वीकृति के लिए नगर निगम द्वारा डेवलपमेन्ट परमिट फीस आवेदनकर्ता से नहीं लिया गया था। नक्शा प्राप्ति पंजी में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि स्वीकृत नक्शा आवासीय था अथवा वाणिज्यिक। इसके कारण अंकेक्षण में डेवलपमेन्ट परमिट फीस मद में प्राप्त होने वाली वास्तविक राषि की गणना नहीं की जा सकी। इस अवधि में कुल 128 नक्शे निगम कार्यालय एवं वास्तुविदों द्वारा पारित किये गये थे, लेकिन न तो निगम कार्यालय द्वारा तथा न ही वास्तुविदों द्वारा डेवलपमेन्ट परमिट फीस आवेदनकर्ताओं से लिया गया था। न्यूनतम प्रति नक्शा ₹ 1500 के गणना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2014–15 के अवधि में नगर निगम को स्वीकृत नक्शों पर नगर निगम कार्यालय को न्यूनतम ₹ 192000 (128 X ₹ 1500.00) की हानि हुयी।

लेखा परीक्षा में यह पूछे जाने पर कि निगम कार्यालय द्वारा वास्तुविदों से कभी डेवलपमेन्ट परमिट फीस की वसूली नहीं करने का कारण क्यों नहीं पूछा गया था और निगम कार्यालय द्वारा बाई लॉ के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार डेवलपमेन्ट परमिट फीस आवेदनकर्ताओं से क्यों नहीं लिया गया। कार्यालय निगम कटिहार ने उत्तर दिया कि नक्शा पास कराने वाले व्यक्तियों से विकास परमीट शुल्क की वसूली हेतु अभियंत्रण प्रशाखा को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिये जायेंगे। जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय, और नहीं वसूले गये डेवलपमेन्ट परमिट फीस की वसूली संबंधित व्यक्तियों अथवा वास्तुविदों से वसूल कर ₹ 192000.00 निगम कोष में जमा करके अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

कंडिका– 6 अधिक भुगतान ₹ 22.50 लाख

योजना संख्या :– 01/31–37/एस0 प0/2014–15 (राज्य योजना परियोजना अन्तर्गत)

1190

योजना का नाम :– शहीद चौक से सदर अस्पताल जमूना फ्लावर मिल होते हुए शिव मंदिर चौक एवं हल्का कचहरी से महिला कॉलेज होते हुए न्यू जूट मिल तक के अवशेष भाग़ में पी0सी0सी0 पथ एवं नाला निर्माण कार्य।

प्राक्कलित राशि :– ₹ 21542000.00

तकनीकी स्वीकृति की राशि :– ₹ 21073000.00

परिमाण विपत्र राशि :– ₹ 20086508.00

निविदा राशि :– ₹ 20086508.00

प्रशासनिक स्वकृति की तिथि :– 06.02.2015

संवेदक का नाम :– प्रो० श्री सौरभ कुमार अग्रवाल, (मेसर्स टॉप लाईन इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मिरचाईबाड़ी अम्बेडकर चौक, कटिहार)

कार्यादेश के अनुसार कार्य कराने की तिथि :– छः माह (05.08.2015)।

प्रथम चलता लेखा बिल :–₹ 5178746.00

कटौतियाँ :–

(i) सेक्योर्टि डिपोजिट 5% :–₹ 264447.00

(ii) सेल्स टैक्स 5% :–₹ 258937.00

(iii) इन्कम टैक्स 2 % :–₹ 103575.00

(iv) श्रम सेस 1 % :–₹ 51787.00

(v) कुल कटौती :–₹ 678746.00

(vi) भुगतान की राशि :–₹ 4500000.00

द्वितीय चलता लेखा बिल :–₹12342727.00 कटौतियाँ :–

(i) प्रथम चलता लेखा बिल :–₹ 5178746.00

(ii) सेक्योर्टि डिपोजिट 8% :–₹ 722971.00

(iii) सेल्स टैक्स 5% :–₹ 358199.00

(iv) इन्कम टैक्स 2 % :–₹ 143280.00

(v) श्रम सेस 1 % :–₹ 71640.00

(vi) रॉयल्टी :–₹ 105436.00

(vii) कुल कटौती :–₹ 6580272.00

(viii) कटौती 12 % :–₹ 1481128.00

(ix) भुगतान की राशि :–₹ 4281327.00

तृतीय चलता लेखा बिल :–₹19322269.00 (07.07.2015 सत्यापन कार्य0 अ0 05.01.2016) कटौतियाँ :–

(i) द्वितीय चलता लेखा बिल :–₹12342727.00

(ii) सेक्योर्टि डिपोजिट 8% :–₹ 558363.00

(iii) सेल्स टैक्स 5% :–₹ 348977.00

(iv) इन्कम टैक्स 2 % :–₹ 139591.00

(v) श्रम सेस 1 % :–₹ 69795.00

(vi) रॉयल्टी :–₹ 65310.00

(vii) कुल कटौती :–₹13524763.00

(viii) जोड़ 2 %रिलिज राशि :–₹ 246855.00

(ix) भुगतान की राशि :–₹6044361.00

योजना की भौतिक स्थिति :– अपूर्ण।

उक्त कार्य का लेखा परीक्ष में प्रस्तुत योजना संचिका 13–14/योजना/एस0 प0/12 के अवलोकन के दौरान पाया गया कि बिहार सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग पत्रांक संख्या–6ब/सड़क 9–05/2013 दिनांक 08.02.2013 से कटिहार नगर निगम के क्षेत्र के अन्तर्गत जमूना फ्लावर मिल होते हुए शिव मंदिर चौक एवं हल्का कचहरी से महिला कॉलेज होते हुए न्यू जूट मिल तक के अवशेष भाग में पी0 सी0 सी0 पथ एवं नाला निर्माण कार्य हेत ₹ 216.19 लाख का आवंटन की निकासी निम्न शर्त्तों के अधीन स्वीकृत की गई।

(i) योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा कराया जायेगा एवं इसका तकनीकी पर्यवेक्षण संबंधित जिला के कार्यपालक अभियंता, जिला सरकारी विकास अभियंत्रण (डुडा) द्वारा किया जायेगा।

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय– समय पर किया जायेगा।

(iii) कंक्रीट से संबंधित कार्य की गुणवत्ता को जाँच करने के लिये सामाग्री का Cube Test पथ निर्माण विभाग, बिहार के TRI Laboratory से करा कर जाँच प्रतिवेदन विपत्र के साथ लगाया जायेगा।

(iv) सभी योजनाओं का कार्यान्वयन ई0 टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जायेगा।

(v) स्वीकृत योजना के पूर्ण होने पर यह परिसम्पत्ति नगर निकायों की होगी एवं इससे प्राप्त होने वाले आय पर भी स्वामित्त्व नगर निकाय का होगा।

(vi) योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए समय– समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है। संवेदक के अनुरोध पर संबंधित कनीय अभियंता 10 दिनों के अंदर योजना कार्य का मापी कर मापी पुस्तिका को बेबसाइट पर अपलोड करेंगें। सहायक अभियंता 5 दिनों में एवं कार्यापालक अभियंता 3 दिनों में मापी कर पुस्तिका की जाँच कर बेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत करेंगें एवं भुगतान के लिए आदेश पारित करेंगें। कार्यपालक अभियंता के आदेश पारित करने के 7 दिनों में RTGS के माध्यम से संवेदक के खाते में सीधे राशि का भुगतान कर दिया जाए।

1188

(vii) स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। योजनाओं का कार्यान्वयन का त्रैमासिक एवं भौतिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

अधिक्षण अभियंता बिहार शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार, के पत्र संख्या अंकित नहीं दिनांक 02.12.2014 के दिशा निर्देशानुसार उक्त योजना का कार्यान्वयन हेतु ई0 टेन्डरिंग के माध्यम से डाउनलोडेड निविदा कागजातों एवं द्वितीय प्रकम के तहत Clarification & Modification में प्राप्त कागजातों के समीक्षोपरान्त एकल एवं मान्य निविदाकार जो उक्त कार्य के कार्यान्वयंन हेतु समर्पित निविदा के तकनीकी बीड में सफल एकल निविदाकार मे0 टॉप लाईन इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, (प्रो0 श्री सौरभ कुमार अग्रवाल,) मिरचाईबाड़ी अम्बेडकर चौक, कटिहार को विभागीय स्तर पर गठित निविदा समिति के दिनांक 28.11.2014 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उनके द्वारा उद्धत दर परिमाण विपत्र के अनुसूचित दर की राशि ₹ 20086508.00 के अनुसूचित दर पर जिसकी कुल राशि ₹ 20086508.00 पर कार्य आवंटित किया गया। कार्य निम्न निदेशों को पालन करते हुए एकरारनामा करना था।

(i) कार्य समाप्ति की अवधि 6 (छः) माह होगी।

(ii) कार्य का एकरारनामा 10 (दस) दिनों के अंदर सम्पन्न कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(iii) कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्री लेवल अवश्य करा लेंगें, ताकि कार्य पूर्ण होने पर कृत कार्य की मात्रा का गणना सही ढ़ग से की जा सके।

(iv) कार्य के दौरान व्यवहार में आनेवाले समाग्रियों यथा ईट, बालू, चिप्स, मेटल आदि की गुणवत्ता की जाँच व्यवहार में लाने के पूर्व करा लेंगें।

(v) PCC कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould Cast के बाद Crushing Strength का Test अवश्य करा लेंगें।

(vi) पथ के फ्लैक का निर्माण पथ के Crust के बाद Camber में निर्मित करेंगें ताकि जल का जमाव पथ पर नहीं हो तथा फ्लैक एवं पथ क्रस्ट के बीच किसी प्रकार का ठोकर नहीं हो।

(vii) माननीय उच्च न्यायलय, पटना के द्वारा CWJC सं0 14831/2009 में पारित आदेश आलोक में निविदित पथ का स्तर (Level) सटे मकानों के पीलींथ से नीचे रखना सुनिश्चित करेंगें।

अंकेक्षण टिप्पणी :–

1. सरकार के दिशा निर्देशानुसार उक्त संवेदक के साथकार्य का एकरारनामा 10 (दस) दिनों के अंदर सम्पन्न कराकर कार्य प्रारम्भ किया जाना था किंतु उक्त कार्य के कार्यान्वयन का एकरारनामा 12.12.2014 के जगह पर दिनांक 06.02.2015 को 66 दिनों के बाद किया गया।

2. कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्री लेवल कराना था, ताकि कार्य पूर्ण होने पर कृत कार्य की मात्रा का गणना सही ढ़ग से की जा सके। कार्य के दौरान व्यवहार में आनेवाले समाग्रियों यथा ईट, बालू, चिप्स, मेटल आदि की गुणवत्ता की जाँच व्यवहार में लाने के पूर्व कराना था। PCC कार्य की योजना में कार्य के